

मूल वाद में अंतिम डिक्री  
(आदेश 20 नियम 6, 7 जा.दी.)

न्यायालय सहायक कलक्टर बड़ीसादड़ी

श्री प्रवीण कुमार मीणा आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर बड़ीसादड़ी

प्रकरण सं. 46/2023

वादपत्र धारा 88, 188 आर.टी.एक्ट.

मोडीराम उर्फ मोडा पिता वरदा मीणा (रावत) नि. श्यामपुरा (केवलपुरा) तह. बड़ीसादड़ी ।

—वादी

बनाम

- 1- रायसिंह पिता वरदा मीणा (रावत) नि. श्यामपुरा (केवलपुरा) तह. बड़ीसादड़ी
- 2- शाखा प्रबंधक, आई.सी.आई.सी.आई. बैंक शाखा बांसी
- 3- भूमिधारी तहसीलदार बड़ीसादड़ी


—प्रतिवादीगण

वादी की ओर से वकील श्री ए.के. आमेटा तथा प्रतिवादी नं. 1 की उपस्थिति में यह वाद आज दिनांक को अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष अंतिम डिक्री के लिए पेश होने पर आदेश दिया जाता है कि मौजा श्यामपुरा पटवार हल्का केवलपुरा कि आराजी नं. 173/22, 174/22, 176/23, 177/57, 179/59, 183/59, 184/152 कुल कित्ता 7 रकबा 0.7400 हैक्ट. भूमि में से 1/2 हिस्सा वादी की खातेदारी में घोषित की जाती है। रहन यथावत रहेगा।

इसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे।

इस वाद के खर्चे...X... प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज सहित...X... को दी जावे।  
यह आज दिनांक 19.11.2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी की गयी।



  
(प्रवीण कुमार मीणा)RAS  
आर.ए.एस  
सहायक कलक्टर बड़ीसादड़ी


न्यायालय सहायक कलक्टर, बड़ीसादड़ी जिला चित्तौड़गढ़

क्रमांक : राजस्व/2024/242

दिनांक : 19/11/2024

मूल ही तहसीलदार बड़ीसादड़ी को भेज कर लेख है कि उपरोक्तानुसार पालना कर पालना रिपोर्ट इस न्यायालय को भिजवायें।



  
(प्रवीण कुमार मीणा)RAS  
आर.ए.एस  
सहायक कलक्टर बड़ीसादड़ी

